



प्रेस विज्ञप्ति
14.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने ओडिशा में उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2024 के प्रश्नपत्र लीक होने के संबंध में दिनांक 09.10.2026, 10.10.2026 एवं 12.10.2026 को ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, मेसर्स सिलिकॉन टेक्नोलैब प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पीएसआईएल इंटरनेशनल लिमिटेड तथा उनके निदेशकों के परिसरों के साथ-साथ अन्य संबद्ध व्यक्तियों के परिसरों को भी तलाशी के दायरे में शामिल किया गया तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेजों, उपकरणों एवं अभिलेखों का पता लगाया गया तथा उन्हें जब्त किया गया, जिनकी आगे जाँच की जा रही है।

यह मामला ओडिशा पुलिस द्वारा अक्टूबर, 2025 में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित है। दिनांक 30.09.2025 को ओडिशा पुलिस ने इच्छापुरम के सीमावर्ती क्षेत्र (आंध्र प्रदेश और ओडिशा का सीमावर्ती नगर) के निकट तीन बसों को रोका, जिनमें उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2024 के 114 अभ्यर्थी सवार थे। यह कार्रवाई उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक किए जाने के संबंध में की गई थी। उक्त परीक्षा दिनांक 5 एवं 6 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जानी निर्धारित थी। आरोप है कि प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक की राशि के बदले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की पेशकश की गई थी। तत्पश्चात, उक्त मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित कर दिया गया। आरोप है कि परीक्षा आयोजित करने का कार्य जिन संस्थाओं को सौंपा गया था, उनसे संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रश्नपत्र लीक किया गया था। उनके सहयोगियों ने अभ्यर्थियों से संपर्क किया तथा धनराशि के बदले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का प्रलोभन दिया। इसके बदले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र गारंटी के रूप में अपने पास रख लिए गए। सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप-पत्र के अनुसार, मार्च, 2025 के दौरान भी प्रश्नपत्र के संबंध में विभिन्न अनियमितताएँ हुई थीं। उस समय उक्त परीक्षा पूर्व में आयोजित की जानी निर्धारित थी, जिसे बाद में ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) द्वारा रद्द कर दिया गया था।

तलाशी के दौरान यह पता चला कि ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) ने परीक्षा आयोजित करने का कार्य आईटीआई लिमिटेड को सौंपा था, जो केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तत्पश्चात, आईटीआई लिमिटेड ने यह कार्य भुवनेश्वर स्थित मेसर्स सिलिकॉन टेक्नोलैब प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) को सौंप दिया। तथापि, मेसर्स एसटीपीएल ने अपने निदेशक सुरेश चंद्र नायक के माध्यम से, आईटीआई लिमिटेड की लिखित अनुमति के बिना, अपने निदेशक शंकर प्रस्टी की मिलीभगत से अभ्यर्थियों की संवेदनशील जानकारी के प्रबंधन का कार्य तृतीय पक्ष मेसर्स पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया। इसके बाद, सिलिकॉन टेक्नोलैब से जुड़े व्यक्तियों तथा शंकर प्रस्टी ने अभ्यर्थियों से संपर्क किया और उन्हें धनराशि के बदले परीक्षा के प्रश्नपत्र की गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ लिया। जाँच में अभियुक्त शंकर प्रस्टी (मेसर्स पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) और एसटीपीएल के बीच उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2024 की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही हुए लेन-देन की एक शृंखला का पता चला है, जो उनकी आपसी मिलीभगत को दर्शाती है।

जाँच के दौरान यह खुलासा हुआ कि दिनांक 05.08.2023 के एक कथित शेयर क्रय करार के माध्यम से सिलिकॉन टेक्नोलैब की बहुसंख्यक शेयरधारिता का अधिग्रहण पीएसआईएल इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे पूर्व में पटनायक स्टील इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) तथा उसके निदेशकों श्री समीर रथ और उनकी पत्नी श्रीमती सस्वती मिश्रा द्वारा किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त करार की आगे जाँच की जा रही है। जाँच में यह भी पता चला कि उक्त करार दोनों कंपनियों में से किसी के द्वारा भी कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि पीएसआईएल के निदेशकों द्वारा एसटीपीएल में नियंत्रक हिस्सेदारी तथा प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त कर लेने के बावजूद, सुरेश चंद्र नायक एसटीपीएल के निदेशक बने रहे तथा कंपनी से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन के संबंध में आईटीआई लिमिटेड के साथ पत्राचार करते रहे। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि सुरेश चंद्र नायक अनधिकृत रूप से उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा से

संबंधित कार्य का संचालन कर रहे थे, समीर रथ अथवा सस्वती मिश्रा ने इस संबंध में आईटीआई लिमिटेड को सूचित नहीं किया। तत्पश्चात, सुरेश चंद्र नायक ने अनधिकृत रूप से परीक्षा के प्रश्नपत्रों तक पहुँच प्राप्त की।

अब तक की गई जाँच एवं तलाशी कार्रवाइयों से ऐसी कंपनियों/संस्थाओं की भूमिका उजागर हुई है, जो अब तक जाँच एजेंसियों की जाँच के दायरे से बाहर रही थीं। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) तथा अन्य कंपनियों/संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों सहित अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका भी सामने आई है। ऐसी संस्थाएँ संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया से गहन रूप से जुड़ी हुई पाई गई हैं। अब तक की गई जाँच तथा तलाशी के दौरान एकत्रित साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि प्रश्नपत्र लीक करने का कार्य सुनियोजित तरीके से किया गया तथा अभ्यर्थियों से नकद राशि के रूप में अपराध से अर्जित भारी मात्रा में आय प्राप्त हुई।

आगे की जाँच जारी है।